राजस्व लोक अदालत 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्टः– श्री भागीरथराम (आर.ए.एस.)
कैम्प–नवातला दिनांकः–12.6.18

मुकदमा सं0 :–485/2017

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. रेंवतराम पुत्र श्री देरागराम जाति जाट निवासी ग्राम बाड़ियों की ढाणी कोरणा		1. मादाराम, 2. नथाराम, 3. चैनाराम पुत्रान दुर्गाराम 4. सरूपाराम, 5. दलाराम, 6. जीयाराम, 7. ओगाराम, 8. देवाराम पुत्रान राणाराम 9, कसुम्बीदेवी बेवा राणाराम 10 पेमाराम पुत्र लुम्बाराम 11 धोकलराम, 12, मुकाराम, पुत्रान अमराराम 13 भीयाराम,14 मुकनाराम 15, नेमाराम पुत्रान देरागराम 16 पीराराम पुत्र चुतराराम, 17 गुमनाराम पुत्र खुमाराम 18 देवाराम 19 चिमाराम, 20 बुधाराम पुत्रान राणाराम सभी कौम जाट निवासी बाड़ियों की ढाणी कोरणा पचपदरा। 21 दीपाराम गोदपुत्र सांवलाराम जाति जाट निवासी ग्राम बाड़ियों की ढाणी कोरणा

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251–ए (1) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के तहत स्वीकृति हेतु

संशोधित आदेश

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर में पेश हुई । प्रार्थी की संयुक्त स्वामित्व कब्जासुद भूमि खेत खसरा नं0 459 रकबा 0.09 बीघा सरहद मौजा बाड़ियों की ढाणी तह0 पचपदरा में आई हुई है। प्रार्थी को मुख्य सड़क से अपनी ढाणी तक पहुचने में खसरा नं0 451 व 446 से निकलना पड़ता है। खसरा नं0 446 सरकारी पगडंडिया तथा रास्ते की भूमि है। तथा खसरा प0 451 प्रार्थी व विप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि है। खसरा नं0 451 में पिछले लम्बे समय से परिशिष्ट "अ" के मार्क ए से बी स्थान पर रास्ता चल रहा है। उक्त रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज नही होने से उक्त 30 फीट रास्ता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो आवागमन का सुगम एवं नजदीकी रास्ता है जो कि उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नं0 446 के लगती होने अन्य खातेदारी की भूमि में से धारा 251 ए के तहत रास्ते की मांग नही कर सकते है।

पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया राजस्व लोक अदालत में उपस्थित पक्षकारान एवं मौजिज लोगों को सुना गया । प्रार्थी के खसरा नं0 722/460 में आवागमन हेतु किसी प्रकार मुरड़ा रास्ता नही है। मौके पर कच्चा रास्ता बना हुआ है। भू0 अ0 निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खेत ख0 नं0 722/460 में आवागमन हेतु वर्तमान मे मौके पर चल रहे रास्ते को कटाणमार्ग दर्ज करने पर ख0 सं0 451 रकबा 3.10 में से 0.08 बीघा एवं 452 रकबा 9.07 बीघा में से 0.01 बीघा भुमि कुल रकबा 0.09 बीघा रास्ते हेतु उपयोग में आयेगी मौका रिपोर्ट में नजरी नक्शा दर्शाया गया है। खसरा नं0 451 रकबा 3.10 बीघा में प्राथी रेंवतराम पुत्र देरामराम सह खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि प्रार्थी रेंवतराम एवं विप्रार्थीगण मादाराम वगैरहा की संयुक्त खातेदारी की भूमि है।

खसरा सं0 452 रकबा 9.07 बीघा दीपाराम गोदपुत्र सांवलाराम के नाम दर्ज है जिसे प्रार्थी रेंवतराम ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018

Scanned by CamScanner

गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर दीपाराम गोदपुत्र सांवलराम को पक्षकार बनाये जाने के आदेश प्रदान कर प्रार्थना पत्र में पक्षाकार बनाया गया ।

प्रकरण में साक्ष्य दस्तावेजातों के अवलोकन किया जा कर प्रकरण में पक्षकारान को सुना जा कर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में राजस्व लोक अदालत की मूल भावना से प्रेरित होकर ख0 नं0 452 रकबा 9.07 बीघा मे से 0.01 बीघा भूमि एवं प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि खसरा सं0 451 रकबा 3.08 मे से 0.08 बीघा रास्ते हेतू इस प्रकार कुल रकबा 0.09 बीघा भूमि परिशिष्ट "अ" अनुसार कटाण मार्ग राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जावे साथ ही विप्रार्थी सं0 21 दीपाराम गोद पुत्र सांवलराम के ख0 नं0 452 रकबा 9.07 बीघा मे से 0.01 बीघा भूमि का मुआवजा राशि डी0एल0सी0 दर रू0 20560/– अनुसार रू0 2056/– बनते है उक्त राशि विप्रार्थी सं0 21 दीपारास को बतौर मुआवजा दिये जावें । चूंकि खसरा नं0 451 में प्रार्थी स्वंय खातेदार है इसलिये रास्ते की भूमि की मुआवजा देय नही है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश दिये जाते है कि मुआवजा राशि प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी सं0 21 दीपाराम को प्रदान कर रास्ते की भूमि का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करते हुये पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

पत्रावली फैसलशुमार हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

(भागीरथराम)
सहायक कलेक्टर
बालोतरा

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प..

Scanned by CamScanner